

⇒ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय

परिवहन मार्ग, चौमू हाउस, जयपुर

कर्मांक:- एफ.4/मुख्या./लेखा/वित्त-अंके./2024/2466

दिनांक:- 10.06.2024

अधिसूचना

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस0बी0सिविल अवमानना याचिका संख्या 1027/2018 दूंगवराम बनाम राजहंस उपाध्याय एवं उसके साथ संलग्न 108 अवमानना याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 07.05.2024 की अनुपालना में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त समस्त कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि वह स्वयं अथवा उनके कानूनी प्रतिनिधि (जैसा भी मामला हो), बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभ व अन्य भत्तों यथा बकाया वेतन, अधिश्रम भत्ता, राजपत्रित अवकाश भत्ता, साप्ताहिक भत्ता आदि का भुगतान प्राप्त करने के सम्बन्ध में अपना दावा, शीर्षवार विवरण और दस्तावेजी साक्ष्य (यदि कोई हों) के साथ, संलग्न प्रारूप में सम्बन्धित आगार के मुख्य प्रबन्धक/इकाई प्रभारी, (जिससे वह सेवानिवृत्त हुए हैं) के समक्ष दिनांक 30.06.2024 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि दावों का आगार/इकाई स्तर पर गठित कमेटी द्वारा परीक्षण/जॉच उपरान्त देय राशि निर्धारित की जाकर मा0उच्च न्यायालय को अवगत कराया जा सके।


उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

दावा प्रस्तुत करने का प्रारूप

नाम कार्मिक पद सेवानिवृत्ति दिनांक
सेवानिवृत्ति आगार/इकाई

बकाया वेतन	ग्रेच्युटी	अधिश्रम	राजपत्रित अवकाश

नोट:- उक्त बकाया राशि की गणना का विवरण मय दस्तावेजी साक्ष्य (यदि कोई हो) आवश्यक रूप से संलग्न करें।


(राम गोपाल पारीक)
वित्तीय सलाहकार